पत्रांकः— वन भूमि—44/2019....................../प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

कमलजीत सिंह,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक...........................

विषय :— मुंगेर जिलान्तर्गत NH-333 के 24 वें कि०मी० पर उच्च स्तरीय माईनर RCC ब्रीज के निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.2165 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या—921 (ई०) दिनांक—28.08.1997 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना निर्माण में 0.2165 हे० वनभूमि का अपयोजन एवं 60 से०मी से अधिक गोलाई के 16 वृक्षों के पातन की आवश्यकता बतायी गयी है। राज्य में विभिन्न परियोजनाओं में अब वृक्षों का पातन नहीं किये जाने के निर्णय के आलोक में प्रभावित होने वाले वृक्षें को अन्यंत्र स्थानांतरित किये जाने के शर्त के साथ परियोजना पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.6 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत कुल—0.2165 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण—पत्र की मूल प्रति संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.2165 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 1,73,850/—(एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पचास रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. निर्माण स्थल को इस प्रकार परिवर्तित किया जायेगा कि निर्माण के क्रम में किसी पेड़ का पातन नहीं करना पड़े इस हेतु Design में परिवर्तन कर अथवा वृक्षों का Translocate किया जायेगा जिससे न्यूनतम पेड़ प्रभावित होते हो, जिन्हे पातित नहीं कर उन्हें अन्यत्र Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–44/2019.................../प०व०, पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–44/2019 821(ई)/प०व०, पटना–15, दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-80